पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार (अनुसचिवीय) शीघ्रलेखक एवं सहायक उप निरीक्षक (अनुसचिवीय) के रिक्त पदो हेतु भरती परीक्षा-2025

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रं./पुमु/2/चयन/स-2/164/2026, दि. 06.03.2026 के अनुसार

संशोधन

अध्याय-1 के बिन्दु क्र. 13.आरक्षण (उप बिन्दु xii- "क") :-

xii- **बिन्दु "क" को विलोपित किया जाता है ।**
शेष बिन्दु यथावत रहेंगे।

अध्याय-1 के बिन्दु क्र. 14.चयन (उप बिन्दु i एवं ii में संशोधन) :-
चयन सूची से सेवा में नियुक्ति-

i- **द्वितीय चरण दस्तावेज परीक्षण के लिए बुलाये गये अभ्यर्थियों के समस्त मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में सफल होने पर ही अभ्यर्थियों को चयन की पात्रता होगी। अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के परीक्षण में यदि अयोग्य पाया जाता है, तो उसका चयन नहीं किया जाएगा एवं उसे द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।**

ii- **लिखित परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) बनाई जावेगी, परन्तु केवल उन्हीं उम्मीदवारों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, जिन्होंने प्रायोगिक परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों।**
शेष बिन्दु यथावत रहेंगे।

अध्याय-1 के बिन्दु क्र.19 नियुक्ति (उप बिन्दु ii में संशोधन) :-

ii- अभ्यर्थियों को आयु, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण के प्रावधानों, शारीरिक नापजोख, लिखित परीक्षा, **प्रायोगिक परीक्षा**, चरित्र सत्यापन, चिकित्सकीय परीक्षण, सभी में पूर्णत: योग्य पाये जाने पर ही नियुक्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी । अभ्यर्थियों को उनकी प्राथमिकता अनुसार उन्हें पद-संवर्ग एवं पदों की उपलब्धता तथा प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार इकाई आवंटित की जाएगी।
शेष बिन्दु यथावत रहेंगे।

06/3/26

06/03/26